महिला और बच्चे की तस्करी

जे.कृष्णवेणी, हिन्दी प्राध्यापिका, के.एस.एन.सरकारी महिला महाविद्यालय,अनंतपुरम
सी.रवीन्द्रारेड्डी, वाणिज्यशास्त्र प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय, उरवकोंडा

विश्व के बहुत से देशों जिन समस्याओं को प्रमुख रूपों से सामना कर रहे हैं उनमें से एक है मानव तस्कारी । इसका प्रधान तत्व है दासता । आधुनिक युग की यह दासता नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के बाद विश्व का सबसे अधिक लाभदायक और गैर कानूनी व्यापार है । भारत भी इस समस्या से पीडित होनेवाले देशों में उॅचे स्थान पर है । भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इस समस्या के शिकार बन गये हैं । नैतिकता का पतन आर्थिक विषमता और गरीबी, बढती बेरोजगारी, असमान क्षेत्रीय विकास, स्थानांतरण की मजबूरी के साथ–साथ विक्षिप्त मानसिकता और विलासपूर्ण जीवन शैली इस समस्या का मूल कारण है । असल में तस्करी का अर्थ है – किसी व्यक्ति से, चाहे वो पुरूष हो, महिला हो या फिर छोटा बच्चा, उसकी मर्जी के खिलाफ या उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, उनका शोषण करना, उन पर अत्याचार करना, उन्हें घरेलू मजदूरों की तरह रखना, अनैतिक काम में लगाना, मानवाधिकारों का सीधा–सीधा उल्लघंन है ।

मुख्य रूप से इस तस्कारी का शिकार होने वाले लोग है – महिलाएँ और बच्चे हैं । उनमें ज्यादा तौर पर पीडित होनेवाले हैं महिलाएँ । महिलाओं की तस्करी यौन व्यापार के लिए ही नहीं हो रही बल्कि उनका इस्तेमाल और भी अनैतिक कार्यों के लिए हो रहा है । गरीब परिवार में पैदा हुई लडकी के लिए यह एक शाप बन गया है । पैसों की खातिर मॉ–बाप मजबूरी से लडकी को बेच देते है । विशेष तौर पर किशोर लडकियों और औरतों की स्थिति अधिक चिंताजनक है । विकल्पहीन और चयनहीन अवस्था में वे अपना जीवन जीने के लिए मजबूर की जाती है । लाचार और असहाय लडकियों और औरतों को मानव तस्कर अपने थोडे से आर्थिक लाभ के लिए अमानवीय यातानाओं की काल कोठरी में ढकेल देते हैं । मानव तस्करी की पीडित लडकी अनाथालयों, सुधार गृहों, जेलों और अस्पतालों में बार–बार शारीरिक शोषण का शिकार बनती हैं ।

उसी तरह भारत में हर साल लगभग दो करोड बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं । बच्चों को देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, भीख मॉगने या चोरी करने के काम में लगाया जाता है । तस्कर अधिकतर ग्रमीण क्षेत्रों के हजारों गरीब महिलाओं और बच्चों को अच्छी पढाई, अच्छी,नौकरी दिलाने का और पैसों का लालच दिखाकर शहर ले जाते हैं । लेकिन वहॉ उन्हें घरेलू काम करने या देह व्यापार अथवा घरों में या कपडा कारखानों, हास्टलों में काम करने के लिए बेच दिया जाता है । घरेलू मजदूर के रूप में काम करने वाले बच्चों को कई तरह की मुश्किलों को सामना करना पडता है । इनके लिए न तो काम के घंटे तय होते हैं और न ही इन्हें वे सुविधाएँ मिलती हैं जिनका हकदार एक आम कामकाजी आदमी होता है । न तो इन्हें कोई छुट्टी मिलती हैं और न ही आराम के लिए समय । ऐसे बच्चों के यौन शोषण का खतरा भी बढ जाता है । और बच्चों की यौन परिपक्वता बढाने के लिए रसायनों या हारमोन्स का इस्तेमाल भी करते हैं । दिल्ली, बंगलूर, गोवा, मुंबई और चंढीगढ जैसे शहरों में अमीर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मासूम बच्चों और लडकियों की खरीद लेते हैं । तस्करी के शिकर लोगों की कई चीजों, जैसे मानसिक विकास निराशा और चिंता से पीडित होने की संभावना, सबसे अधिक रहती है । यौन तस्करी की शिकार महिलाओं को हेच.ऐ.वी से ग्रासित होने की संभावना भी अधिक रहती है । कई महिलाएँ और बच्चें जोर जबरदस्ती, दबाव, धोखे या धमकी जैसे विभिन्न कारणों के आधार पर अमानवीय परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है । और दासता की इस क्रूरतापूर्ण जीवन शैली को स्वीकार करके भय व आतंक व निराशा की छाया में जीवन व्यतीत करने लगता है ।

मानव तस्करी की बढती घटनाओं के कारण इस अभिशाप को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आरंभ हुआ है । विभिन्न देशों में मानव तस्करी के विरूद्ध सक्रिय संगठनों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि विश्व में इस अमानवीय व गैर कानूनी व्यापार के विस्तार का एक कारण इस समस्या के निवारण के लिए सरकारों द्वारा आवश्यक प्रतिक्रिया प्रकट न करना । नोबुल पुरस्कार विजेता सत्यर्थी पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए कहा है कि तस्करी का निवारण के लिए शिक्षा पर अधिक निवेश करना, स्कूलों

में सभी बच्चों विशेषकर लडकियों की उपस्थिति सुनिश्चत करना, बालिकाओं व महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाओं को उपलब्ध करना है ताकि मानव तस्कर उनके घरों में अपनी पैठ न बना सकें । तस्करी दिन ब दिन बढ रही है । इसको रोकना है ।

अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम के अनुसार व्यावसायिक यौन शोषण दंडनीय है । इसकी सजा सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की है । भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बालश्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम आदि बच्चों की तस्करी के विरोध में बनाये हैं । बढती हुई तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लोंगों को उनके इलाके में अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएँ देने की जरूरत है जिससे मॉ–बाप अपने बच्चों को गरीबी के कारण ना बेच सकें । और तस्करी पीडितों को फिर वे सामान्य जीवन बिताने के लिए आश्रय गृहों तथा पुनर्वास केन्दों को स्थापित करना है । तभी कुछ हद तक इस समस्या को दूर कर सकते हैं । और समाज को भी बच्चों और स्त्रीयों के प्रति अपने विचार को बदलना है । तभी इस तस्करी समस्या को हल कर सकते हैं ।

———